भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 803

उत्तर देने की तारीख 21.07.2022

दिव्यांग लोगों द्वारा चलाए गए एमएसएमई

803. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2020 में एमएसएमई की नई परिभाषा को अपनाने के बाद से दिव्यांग लोगों द्वारा शुरू किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या का कोई डेटा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिव्यांगों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों द्वारा अर्जित राजस्व का राजस्थान सहित उद्योग, राज्य और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क), (ख) और (घ) : वर्ष 2020 में एमएसएमई की नई परिभाषा को अपनाने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसई) की संख्या और दिव्यांग लोगों द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दिव्यांग लोगों द्वारा संचालित एमएसएमई सहित देश के सभी एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। मंत्रालय की स्कीमों और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्यमों के पुनरूद्धार के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के लाभ देश के सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्ध हैं। एमएसएमई के रूप में पंजीकृत खुदरा और थोक व्यापारी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लिए पात्र हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 803, जिसका उत्तर दिनांक 21.07.2022 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क), (ख) एवं (घ) में संदर्भित अनुबंध

दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कुल पंजीकृत एमएसएमई और उनका टर्नओवर (15.07.2022)-राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल एमएसएमई	टर्नओवर (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	4,651	47,44.21
2	अरुणाचल प्रदेश	56	17.39
3	असम	2,041	1,673.21
4	बिहार	5,415	2,516.88
5	छत्तीसगढ	1,194	1,572.33
6	गोवा	214	390.94
7	गुजरात	7,056	10,110.67
8	हरियाणा	3,533	4,628.88
9	हिमाचल प्रदेश	571	707.20
10	झारखंड	1,891	1,087.36
11	कर्नाटक	15,439	13,966.10
12	केरल	5,194	7,649.99
13	मध्य प्रदेश	5,019	3,960.44
14	महाराष्ट्र	21,445	15,214.82
15	मणिपुर	1,420	243.42
16	मेघालय	115	62.00
17	मिजोरम	232	19.24
18	नागालैंड	128	13.82
19	ओडिशा	3,059	2,837.22
20	पंजाब	4,583	4,898.40
21	राजस्थान	7,763	5,458.13
22	सिक्किम	30	37.38
23	तमिलनाडु	23,348	18,971.18
24	तेलंगाना	5,620	5,705.74
25	त्रिपुरा	629	418.20
26	उत्तर प्रदेश	9,426	7,729.25
27	उत्तराखंड	1,159	1,062.57
28	पश्चिम बंगाल	12,453	11,982.01
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	114	33.97
30	चंडीगढ़	192	280.63
31	दादरा और नगर हवेली	51	101.97
32	दमन और दीव	31	193.38
33	दिल्ली	2,575	5,040.05
34	जम्मू और कश्मीर	3,794	1,187.43
35	लद्दाख	48	25.59
36	लक्षद्वीप	3	0.01
37	पुडुचेरी	305	271.83
	कुल	**1,50,797**	**1,34,813.84**
	रिपोर्ट की तारीख :- 15/07/2022 03:25 अपराह्न		